पत्र संख्या वि0व0संग्रह– (2017–18)/ 26 / 1718001 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक : 17 अप्रैल, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश के 75 जनपदों में से 20 बड़े जनपदों में विभागीय वसूली की प्रक्रिया प्रचलित है एवं प्रदेश के शेष 55 जनपदों में राजस्व विभाग द्वारा बकाया वसूली की जा रही है। बकाया वसूली से सम्बन्धित आंकड़ों को मैनुअली अंकित एवं आगणित करने से धनराशि विनिश्चयन की शुद्धता सम्भव नहीं थी। अतः विभागीय वसूली के जनपदों के निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों की शुद्धता हेतु अंकन एवं निस्तारण की एकीकृत कॅम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। उक्त व्यवस्था के प्रारम्भ होने से विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल, स्थगन, प्रशासनिक कारणों से स्थगित, 11 व 22 सूत्री अपलेखन आदि से आच्छादित धनराशि/प्रकरणों का प्रभावी अनुश्रवण सम्भव हो सका। सॉफ्टवेयर में पूर्व में निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों के डाटा अंकन एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से नये वसूली प्रमाण पत्रों (RC) के सृजन की व्यवस्था **परिपत्र संख्या–संग्रह–रिकवरी इन्ट्री मोड–(2012–2013)/1218/ वाणिज्य कर दिनांक 28.12.2012** के माध्यम से की गयी। उपरोक्त परिपत्र से वसूली प्रमाण पत्रों की मॉनिटरिंग हेतु निर्मित सॉफ्टवेयर में दो प्रकार से वसूली प्रमाण पत्रों का डाटा अंकित किये जाने की व्यवस्था है–

1. पूर्व में निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों का डाटा तथा उनकी वर्तमान प्रास्थिति (Status) का अंकन।
2. सॉफ्टवेयर के माध्यम से नये वसूली प्रमाण पत्रों का सृजन।

परिपत्र में प्रक्रिया (Flow Chart) का उल्लेख करते हुए यह भी निर्देश है कि विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत किये जा चुके वसूली प्रमाण पत्रों के डाटा के अंकन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12, 2010–11, 2009–10..... के अवरोही क्रम (Decending Order) में किया जायेगा।

वर्तमान में कर निर्धारण से वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने तक की प्रक्रिया, कॅम्प्यूटर के माध्यम से वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये जाने तथा **परिपत्र संख्या–322/1415051 दिनांक 22.07.2014** के अन्तर्गत ऑनलाइन कर निर्धारण आदेश निर्गत किये जाने तथा कर निर्धारण कार्य से सम्बन्धित पंजियों आर–5ए, आर–5बी को भी ऑनलाइन जनरेट किये जाने की व्यवस्था प्रभावी है। इसी क्रम में कर निर्धारण से सृजित माँग एवं उसकी वसूली की कार्यवाही पूर्णतया ऑनलाइन किये जाने के उद्देश्य से पंजी आर–3, आर–27 तथा आर–6 तथा ACW (वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन/निरस्तीकरण एवं वापसी के प्रारूप का संक्षिप्त नामकरण) प्रपत्र को भी ऑनलाइन व्यवस्थित किये जाने की व्यवस्था परिमार्जित असेसमेन्ट मॉड्यूल के माध्यम से प्रभावी की गयी है। **परिपत्र संख्या–संग्रह–रिकवरी इन्ट्री मोड–2015–16/250/151602/वाणिज्य कर दिनांक 30.07.2015** के माध्यम से भी त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए, नियमानुसार संशोधित वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है। सृजित माँग के सापेक्ष वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् एकपक्षीय रूप से पारित कर निर्धारण आदेशों को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने, अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्थगन किये जाने, समायोजन, बुक ट्रांसफर एवं व्यापारी द्वारा मांग के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा करने की स्थिति में वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन/वापसी हेतु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा एस0टी0 45 प्रपत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों को समाहित करते हुए एस0टी0 45 का संशोधित प्रारूप नियत किया गया है। पूर्व में प्रचलित एस0टी0 45 का नाम भी बदल कर "वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन/निरस्तीकरण एवं वापसी का प्रारूप"– नाम करते हुए उक्त प्रपत्र को दिनांक 01.08.2015 से ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था विभागीय आर0सी0 मॉड्यूल में करते हुए प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार मुख्यालय के **परिपत्र संख्या–संग्रह–रिकवरी इन्ट्री मोड–2015–2016/649/1516057/वाणिज्य कर दिनांक 01.01.2016** के माध्यम से 01.12.2015 के पश्चात् सम्पादित समस्त कर निर्धारण आदेशों के लिए ऑनलाइन आर–3, आर–27 एवं आर–6 की प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य किया गया एवं उक्त तिथि से पूर्व भी पारित आदेशों की तामीली की तिथि की प्रविष्टियाँ ऑनलाइन पंजी आर–5बी में कराने के निर्देश दिये गये ताकि ऐसे आदेशों का भी अंकन आर–3 एवं आर–27 में हो सके। यह भी निर्देश थे कि राजस्व हित में दिनांक 31.03.2016 तक पंजी आर–3, आर–27 तथा आर–6 मैनुअली भी तैयार किये जायें। ऑनलाइन पंजी आर–3, आर–27 एवं आर–6 व्यवस्थित करने एवं डिमांड नोट, वसूली प्रमाण पत्र तथा ACW प्रपत्र जारी करने से सम्बन्धित विस्तृत प्रक्रिया इस परिपत्र के साथ प्रेषित किये गये थे। आर0सी0 से सम्बन्धित प्रक्रिया में यह भी उल्लेख है कि ऐसे सभी वसूली प्रमाण पत्र जो मैनुअली जारी किये गये हैं उनसे सम्बन्धित विवरण का अंकन Old RC detail updation के बटन पर क्लिक करके पूर्व की भाँति किया जा सकेगा। उक्त प्रक्रिया से अंकित RC में आदेश संख्या तथा तामीली की तिथि अंकित करने का विकल्प Old RC detail updation के लिंक पर उपलब्ध है।

कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा ध्यानाकृष्ट किया गया कि उन्हें विभाग द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों की सही जानकारी नहीं हो पाती अतः विभाग के समस्त वसूली प्रमाण पत्रों का विवरण जिलाधिकारियों की लॉगिन आई0डी0 पर उपलब्ध कराते हुए उनके अवलोकन एवं उनके अनुश्रवण हेतु प्रक्रिया का भी उल्लेख करते हुए **कॅम्प्यूटर परिपत्र संख्या–1617022 दिनांक 15.07.2016** द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अतः नोडल अधिकारीगण जिला प्रशासन से समन्वय स्थापन में सहयोग करेंगे।

आर0सी0 से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किया जाना अपेक्षित है जिससे आर–3, आर–6 तथा आर–27 रजिस्टर कॅम्प्यूटराइज्ड तैयार हो सके एवं एम0आई0एस0 रिपोर्ट प्राप्त हो सके। कार्य की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाइट **http://comtax.up.nic.in/main.htm** के मुख्य पृष्ठ पर Manual & Procedures में Combined Guidelines For Assessment and – R3/R6/R27 के अन्तर्गत PPT फाइल में गाइड लाइन उपलब्ध है। गाइड लाइनों का निरन्तर अनुशीलन एवं प्रयोग की आवश्यकता है।

अतः ऊपर अंकित प्रक्रिया के अनुसार कर निर्धारण से वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा अन्य कार्यवाहियों तक विभागीय सॉफ्टवेयर पर आधारित मॉड्यूल पर यथा आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पुराने निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों को अद्यतन सूचनाओं सहित VYAS Central Software पर निर्धारत मॉड्यूल में **दिनांक 15 मई, 2017** तक वर्षवार अवरोही क्रम (Decending Order) में प्रत्येक दशा में अंकन करना/कराना भी सुनिश्चित करें तथा इस कार्य की साप्ताहिक प्रगति से मुख्यालय को अवगत करायें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

13/04/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उ0प्र0 से अपेक्षा की जाती है कि अपने स्तर से अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2– समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को।

3– समस्त 55 राजस्व जनपदों के नामित नोडल अधिकारियों (डिप्टी कमिश्नर) को।

4– सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों एवं उपक्रमों आदि के लिए नामित समस्त नोडल अधिकारियों को।

5– ज्वाइन्ट कमिश्नर आई0टी0, वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सहयोग एवं अधिकारियों कर्मचारियों के लिए Training/Orientation/Workshop व्यवस्था करने हेतु।

(रघुबीर)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश